सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 15 फाल्गुन, 1944 (श०) / 06 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 123

(1)	गृह विभाग	82
(2)	सामान्य प्रशासन विभाग	05
(3)	वित्त विभाग	10
(4)	उद्योग विभाग	11
(5)	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	01
(6)	मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग	03
(7)	गन्ना उद्योग विभाग	08
(8)	सूचना प्रावैधिकी विभाग	02
(9)	निगरानी विभाग	01
	कुल योग --	123

कार्रवाई करना

*703. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमंडल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता, श्री बिनोद कुमार रंजन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल 2 के द्वारा विगत में किये गये अनियमितताओं के कार्यों की जाँच हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य के कार्यालय का पत्रांक 271/22, दिनांक 19 अगस्त, 2022, पत्रांक 281/22, दिनांक 2 सितम्बर, 2022 एवं 343/23, दिनांक 10 जनवरी, 2023 द्वारा निगरानी विभाग से माँग की गयी थी, किन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जाँच कराकर उक्त दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी का निर्माण

*704. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला सदर प्रखंड अन्तर्गत कुतलूपुर एवं जाफर नगर पंचायत जहाँ 20,000 से अधिक की जनसंख्या निवास करती है, की जमीन काफी उपजाऊ है तथा यहाँ फसल बुवाई व कटाई के समय असामाजिक तत्वों का आतंक रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत में स्थाई पुलिस चौकी नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पंचायत में स्थायी पुलिस चौकी का निर्माण कराने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*705. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनिया प्रखंड के बम्हौर पंचायत के भिरखिरा ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है जिससे असामाजिक तत्वों के कब्रिस्तान में आने-जाने के कारण दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*706. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया विधान सभा क्षेत्र के पताही प्रखंड अन्तर्गत जिहुली पंचायत के जिहुली ग्राम-तिनडिया टोला में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग स्थापित करना

*707. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत परवत्ता विधान सभा क्षेत्र के परवत्ता अंचल अन्तर्गत एन0एच0 31 पर पसराहा के पास 100 एकड़ जमीन बियाडा को हस्तांतरित किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार यहाँ मक्का व केला आधारित फूड प्रोसेसिंग प्लांट और वस्त्र उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कराना

*708. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-10 रक्सौल)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित रक्सौल शहर को प्रतिदिन यातायात में जाम की स्थिति से गुजरना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शहर में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था न रहने से सही ढंग से यातायात का परिचालन नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रक्सौल शहर को जाम से निजात दिलाने हेतु ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंदिर का जीर्णोद्धार

*709. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के सरायरंजन प्रखंड अन्तर्गत धर्मपुर पंचायत के धर्मपुर ग्राम में भोला बाबा का पौराणिक मंदिर अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मंदिर का चहारदीवारी नहीं रहने के कारण मंदिर के प्रागंण में आवारा पशुओं, कुत्ता आदि जानवरों का आना-जाना एवं पड़ोस के रहने वालों के द्वारा धीरे-धीरे मंदिर के प्रांगण के जमीन को अतिक्रमण कर स्थाई निवास बना रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को श्रावणी मेला, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि एवं अन्य प्रयोजन के समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मंदिर के प्रांगण की चहारदीवारी एवं मंदिर का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बिहार प्रार्थना अनिवार्य बनाना

*710. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 में बिहार राज्य गीत एवं बिहार प्रार्थना को मान्यता दी है जिसे सरकारी समारोह अथवा अन्य उत्सवों में गाये जाने की प्रथा प्रारंभ करनी थी, किन्तु इसका गायन किसी भी राजकीय समारोह में न तो प्रारंभ में और न अंत में किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सभी सरकारी समारोह अथवा अन्य उत्सवों पर बिहार राज्य गीत एवं बिहार प्रार्थना अनिवार्य बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वैट टैक्स कम करना

*711. श्री लखेंद्र कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-130 पातेपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार, पेट्रोल पर प्रति लीटर 23.58 रुपये एवं डीजल पर 16.65 रुपये प्रति लीटर वैट टैक्स लेती है, जिसके कारण राज्य के लोगों को इसे काफी महंगा लेना पड़ता है जबकि देश के अन्य राज्य यथा गुजरात एवं उत्तर प्रदेश में वैट टैक्स कम है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बिहार के लोगों पर पेट्रोल एवं डीजल की महंगाई का बोझ कम करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल का क्षेत्र विस्तार करना

*712. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिले के अलौली, मानसी एवं खगड़िया प्रखंडों सहित पूरे जिले की मिट्टी गन्ना उत्पादन के लिये उपयुक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिले से सटे समस्तीपुर जिले की हसनपुर चीनी मिल के गन्ना उत्पादन क्षेत्र के अन्तर्गत खगड़िया जिला सम्मिलित नहीं रहने के कारण खगड़िया जिले के गन्ना उत्पादक किसान गन्ना उत्पादन नहीं करते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हसनपुर चीनी मिल का क्षेत्र विस्तार खगड़िया जिले तक करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया जिला के वैसे प्रखंड जहाँ किसानों द्वारा वर्तमान में गन्ने की खेती की जा रही है, हसनपुर चीनी मिल के गन्ना उत्पादित परम्परागत क्षेत्र में अत हैं । खगड़िया जिलान्तर्गत विभिन्न प्रखंडों में चालू पेराई सत्र 2022-23 अन्तर्गत लगभग 1800 एकड़ में गन्ने की खेती की गयी है । गन्ना कृषकों को समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिला के तरह हसनपुर चीनी मिल एवं सरकार के मुख्यमंत्री गन्ना विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाये जा रहे योजनाओं का लाभ मिलता है ।

हसनपुर चीनी मिल प्रबंधन पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ना की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खगड़िया जिले के विभिन्न प्रखंडों में गन्ना परिक्षेत्र का विस्तार कर रहा है । हसनपुर चीनी मिल द्वारा पूर्व से ही खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड अन्तर्गत सोनिहार में पथ क्रय केन्द्र का संचालन किया जा रहा है ।

(3) उपर्युक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

वाहन चोरी रोकना

*713. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''पटना में औसतन 90 मिनट में चोरी होती एक गाड़ी 12 महीने में 5 हजार 7 सौ वाहन ले गये चोर'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में 30 हजार 915, 2019 में 22 हजार 18, 2020 में 20 हजार 561 और वर्ष 2021 में 25 हजार 606 वाहन चोरी के मामले दर्ज हुये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना पुलिस के मुताबिक वर्ष 2020 में 4,456, 2021 में 5,785 वाहन चोरी के कांड दर्ज हुये हैं जबकि बरामद मात्र 20 प्रतिशत से भी कम है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार चोरी की गई वाहन की बरामदगी के साथ वाहन चोरी रोकने के लिये कौन-सा उपाय करने का विचार रखती है ?

पुलिस चौकी का निर्माण

*714. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत रामपुर से अगार तक एन0एच0 27 पर कोई पुलिस चौकी नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार एन0एच0 27 पर कोइनी, जो मध्य में पड़ता है, पर पुलिस चौकी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बहाल कराना

*715. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि होम गार्ड बहाली विज्ञापन संख्या 01/2009 एवं 02/2011 के आधार पर हजारों इच्छुक नौजवानों से बहाली के लिये आवेदन आमंत्रित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन की शर्तों को पूरा करने वाले बड़ी संख्या में नौजवान अभ्यर्थियों का इंटरव्यू और पुलिस भेरिफिकेशन तथा स्वास्थ्य जाँच के बाद मेधा सूची और सफल उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, किन्तु आजतक उन सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की गई ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 13 वर्ष पहले चयनित उम्मीदवारों को बहाल करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दरों में बढ़ोतरी करना

*716. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में प्रभेदवार गन्ने की दर सबसे कम है, प्रभेदवार गन्ने का मूल्य निम्नवत् है :--

राज्य	वर्ष	उत्तम प्रभेद	सामान्य प्रभेद	निम्न प्रभेद
बिहार	2021-22	335	315	285
उत्तर प्रदेश	2021-22	350	340	335
पंजाब	2021-22	360	350	345
हरियणा	2021-22	362	355	0

(2) क्या यह बात सही है कि गन्ना की खेती में खर्च बढ़ने के कारण अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में किसानों की स्थिति खराब हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गन्ने की दरों में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1). उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित आदेश के आलोक में पेराई सत्र 1996-97 से 2021-22 तक राज्य परामर्शित ईख मूल्य का निर्धारण बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन द्वारा किया जाता रहा है । विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 467, दिनांक 5 मार्च, 2022 द्वारा पेराई सत्र 2022-23 से गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारण करने का निर्णय लिया गया था । जिसके विरुद्ध बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद (C.W.J.C No. - 11099/2022, Bihar Sugar Mills Association Vs The State of Bihar & Ors.) दायर किया गया है । उक्त वाद में विभाग द्वारा प्रति शपथ-पत्र दायर करने के उपरान्त गन्ना मूल्य निर्धारण की शक्ति के संबंध में विधि विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त किया जा रहा है ।

गन्ना मूल्य के निर्धारण हेतु बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन के सदस्यों के साथ बैठक भी की जा रही है । सरकार द्वारा पेराई सत्र 2022-23 के लिये शीघ्र गन्ना मूल्य के निर्धारण हेतु सतत् प्रयास किया जा रहा है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना अन्तर्गत गन्ना फसल में चयनित प्रभेदों के बीज का उपयोग कर गन्ना की खेती करने वाले कृषकों को रोगों/बीमारियों से बचाव हेतु कीटनाशी एवं खाद के क्रय पर मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है । समय-समय पर इस योजनान्तर्गत कृषक प्रशिक्षण/सेमिनार/संगोष्ठी का आयोजन कर रोगों के रोक-थाम के उपायों से अवगत कराया जाता है । साथ ही लीफलेट/बुकलेट/डायरी/कैलेण्डर आदि सामाग्रियों के माध्यम से भी रोगों के रोक-थाम की जानकारी उपलब्ध कराया जा रहा है । गत पेराई सत्र 2021-22 अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों का शत-प्रतिशत ईख मूल्य का भुगतान कर दिया गया है । साथ ही चालू पेराई सत्र 2022-23 में भी दिनांक 13 फरवरी, 2023 तक चीनी मिलों द्वारा औसतन 86 प्रतिशत ईख मूल्य का भुगतान कर दिया गया है ।

(3) उपर्युक्त खंड (1) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

चहारदीवारी का निर्माण

*717. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के प्रखण्ड जंदाहा में पंचायत बोरहाँ उर्फ रसलपुर गौस के वार्ड सं० 04 एवं 12 में अवस्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों वार्डों के कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*718. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के बिहपुर मध्य पंचायत वार्ड नं० 4 और बिहपुर जमालपुर पंचायत स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण दो समुदायों के बीच काफी तनाव बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*719. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के तिलौथु प्रखण्ड-अन्तर्गत तिलौथु में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, जिसके कारण चारों तरफ से कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार तिलौथु में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*720. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला अन्तर्गत अरियरी प्रखंड के ग्राम-रामपुर, चोरवर एवं ग्राम-अरियरी के कब्रिस्तान की घेराबंदी कई वर्षों पूर्व की गयी थी जो कि वर्तमान में जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त वर्णित गाँवों में अवस्थित कब्रिस्तानों की नये सिरे से घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी०.का निर्माण कराना

*721. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर दियारा के तीन पंचायत-मानस, पानापुर और कासिमचक का थाना अक्कीलपुर में सम्मिलित होने से तीनों पंचायत थानों से संबंधित मामलों के लिये छपरा जिला के तहत हैं, जबकि इनका राजस्व समेत बाकी मामले पटना जिला में है, जिससे उपर्युक्त पंचायतों की जनता को थानों से संबंधित मामलों के लिये अब 4 कि०मी० की जगह 40 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ती है, यदि हाँ, तो सरकार दानापुर थाना के अन्तर्गत एक अतिरिक्त ओ०पी० निर्माण कर उक्त पंचायतों को इसके तहत लाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समिति का गठन करना

*722. श्री आलोक रंजन (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्व सैनिक कल्याण के लिये सभी जिलों में अनुश्रवण समिति का गठन करने का प्रावधान है, जो कमिटी पूर्व सैनिक के साथ हुये सभी प्रकार के घटना, दुर्घटना में जिला पदाधिकारी के साथ मीटिंग कर इनका समाधान करती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, अररिया में यह समिति कार्य कर रही है, जबकि सहरसा जिला में अनुश्रवण समिति का गठन नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहरसा जिला में पूर्व सैनिक कल्याण के लिये अनुश्रवण समिति का गठन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सीमेंट फैक्ट्री का स्थानांतरण

*723. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थापना उद्योग विभाग के मानक नियम के आलोक में बंजर भूमि एवं पठारी इलाके में किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के प्रखण्ड कराय-परशुराय के डियामा पंचायत में उपजाऊ मिट्टी एवं घनी आबादी के बीच अंचलाधिकारी, कराय-परशुराय/राज्य प्रदूषण बोर्ड, पटना के गलत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के द्वारा अल्ट्राटेक सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थापना कर इलाके में प्रदूषण फैलने से भयानक बीमारी फैलने की आशंका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अल्ट्राटेक सीमेन्ट फैक्ट्री को बंजर भूमि वाले इलाके में स्थानान्तरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराना

*724. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के देसरी प्रखण्ड अन्तर्गत रसलपुर हबीब पंचायत के माधोपुर अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*725. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर कॉपरेटिव स्पिनिंग मिल के कामगारों के वेतन भुगतान का माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 7997/2008, दिनांक 8 जनवरी, 2019 में फैसला आने के बाद भी आजतक बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्पिनिंग मिल के कामगारों का बकाया वेतन कबतक, भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवंटित करना

*726. डॉ० संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला गोगरी प्रखंड के देवठा में साढ़े चार एकड़ जमीन एक साल पहले बियाडा को हस्तांतरित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि साढ़े चार एकड़ जमीन का रेट निर्धारण एक साथ करने से छोटे उद्यमी इसे नहीं ले पा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीनों को छोटा आकार की प्लाटिंग कर छोटे उद्यमियों को आवंटित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशमन केन्द्र खोलना

*727. श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या-163 बेलहर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत बेलहर एंव चांदन प्रखंड जिला मुख्यालय से 40 से 75 कि०मी० दूरी पर अवस्थित होने के कारण इस प्रखंड के गांवों में आग लगने पर जिला मुख्यालय से अग्निशमन गाड़ियों के पहुँचने में लगभग दो से तीन घंटे लग जाते हैं, जिससे जान-माल की काफी क्षति हो जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में अग्निशमन केन्द्र कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*728. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के श्रीरामपुर पंचायत में बैंक की शाखा नहीं रहने से आमजनता सहित व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायत में बैंक की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--शेरघाटी प्रखंड के श्री रामपुर पंचायत से लगभग 04 कि०मी० की दूरी पर विभिन्न बैंकों की 06 (छ:) शाखाएं कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त श्री रामपुर पंचायत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया एवं पंजाब नेशनल बैंक के एक-एक ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यरत है । साथ ही श्री रामपुर पंचायत से 02 किलोमीटर की दूरी पर जे०पी० चौक में भी बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यरत है । मूलत: बैंक शाखा/आउटलेट खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है ।

घेराबंदी करवाना

*729. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत अंचल कल्याणपुर के पकड़ी दीक्षित पंचायत के वार्ड नं० 07 में अवस्थित कब्रिस्तान खाता नं० 186, खेसरा नं० 292, रकबा 1 कट्ठा 1 धूर एवं वार्ड नं० 05 खाता नं० 15, खेसरा नं० 85 जो बकायदा वक्फ बोर्ड को निबंधित है, पक्की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान में अतिक्रमण हो रहा है और आपसी तनाव व्याप्त है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

न्याय दिलाना

*730. श्री सत्येदव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिले के फुलवारी शरीफ थाना में सूरज कुमार सिन्हा के 16 वर्षीय पुत्र आयुष की 22 दिसम्बर, 2022 को निजी मानस नशा मुक्ति केन्द्र में डॉक्टर और स्टाफ द्वारा निर्मम पिटाई के बाद समुचित इलाज के अभाव में संदिग्ध परिस्थितियों में पटना एम्स में हुई मृत्यु से सम्बंधित थाना कांड संख्या 50/23 दर्ज है, किन्तु अभीतक इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, है, यदि हाँ, तो सरकार इस मामले में जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*731. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत 29.6421 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में आवंटित राशि का खर्च प्रतिशत शून्य है जबकि बजट में आवंटित 29.6421 करोड़ की राशि गन्ना विभाग द्वारा सरेंडर कर दी गयी, जिससे किसान योजना के लाभ से वंचित रहे गये ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राशि खर्च नहीं करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*732. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत जाले प्रखंड के घोघराहा बाजार जो SH-52 पर अवस्थित तीन जिले के त्रिकोण पर बसा हुआ है किन्तु उक्त बाजार में कोई सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंक की शाखा उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बाजार में सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंक की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराना

*733. श्री सुनील मणि तिवारी (क्षेत्र संख्या-14 गोविन्दगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रेशमी कुमार उर्फ गडिया, पिता-स्व० नरेन्द्र गुप्ता, उम्र करीब 22 वर्ष, ग्राम+पो० शाहपुर, थाना-सोनवर्षा, जिला सहरसा का अपहरण से सम्बंधित केस नं० 90/2023, दिनांक 25 जनवरी, 2023, धारा-363/365 आई०पी० शास्त्रीनगर, पटना में दर्ज है, किन्तु परिजनों द्वारा अपराधियों के संदिग्ध मोबाईल नम्बर थाना को उपलब्ध कराने के बावजूद अभीतक उसे अपराधियों के चंगुल से नहीं छुड़ाया जा सका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अपहृता को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनः परीक्षा आयोजित कराना

*734. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 23 और 24 जनवरी, 2023 को आयोजित CGL-3 परीक्षा का प्रश्न-पत्र लीक का मामला सोशल मिडिया पर वायरल हुआ था, जबकि आयोग द्वारा केवल 23 जनवरी, की प्रथम पाली की परीक्षा ही रद्द की गई और शेष दो पालियाँ रद्द नहीं की गयी हैं, जबकि अन्य पालियों के प्रश्न-पत्र भी सोशल मिडिया पर वायरल हुये थे, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त परीक्षा की सभी पालियों को रद्द कर इसकी जाँच कराने और पुनः परीक्षा आयोजित कराने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*735. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत शिकारपुर और मझौलिया दोनों थानों के क्षेत्र का दायरा काफी बड़ा है, जिसके कारण विधि व्यवस्था में दिक्कतें आती हैं, साथ ही इस जिला अन्तर्गत सिकटा-मैनाटांड़ और गौनाहा प्रखंडों के भारत-नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में सीमाई थाना मैनाटांड में पुलिस अनुमंडल मुख्यालय नहीं होने से विधि-व्यवस्था संधारण में और भी दिक्कत आती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दोनों थानों शिकारपुर और मझौलिया के क्षेत्र में दो अतिरिक्त थाना तथा मैनाटांड़ में पुलिस अनुमंडल मुख्यालय स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाना

*736. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत ईसुआपुर प्रखंड के ईसुआपुर एवं सढ़वारा में सी0सी0टी0वी0 कैमरा नहीं लगे रहने के कारण आये दिन चोरी, लूट एवं अन्य आपराधिक घटनाओं में लिप्त अपराधी की पहचान नहीं हो पाने के कारण अपराध नियंत्रण निष्प्रभावी हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*737. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड अन्तर्गत जाफरपट्टी पंचायत के एन0एच0 322 अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*738. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के प्रखंड एकंगरसराय मण्डाछ पंचायत में किसी भी बैंक की शाखा नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायत के मुख्यालय घाना बिगहा में बैंक की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*739. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-रोहाई कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण इसमें आवारा पशु घूमते हैं, जिसक कारण गंदगी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति कराना

*740. डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण मुख्यालय में डी0एस0पी0 ट्रैफिक एवं डी0एस0पी0 (हेड क्वार्टर 2) का पद विगत 10 वर्षों से रिक्त है जबकि बढ़ती हुई आबादी एवं बढ़ते हुये वाहनों के कारण यातायात एवं अन्य सुरक्षा से संबंधित कार्य करने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार डी0एस0पी0 ट्रैफिक एवं डी0एस0पी0 (हेड क्वार्टर 2) की प्रतिनियुक्ति सारण जिला में कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*741. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य कार्यालय, बिहार, झारखंड के पत्रांक 11-166-22बी, दिनांक 5 दिसम्बर, 2022 के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना से श्री लालजी कुमार, शिक्षक के साथ गाली-गलौज एवं जातिसूचक शब्द प्रयोग के संबंध में दर्ज अनूसूचित जाति/जन-जाति थाना कांड संख्या 41/22, पटना में कार्यवाही कर अभियुक्त पर विधिसम्मत् कार्रवाई का आदेश दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक एस0सी0/एस0टी0 थाना कांड संख्या 41/22 के अभियुक्त को गिरफ्तारी का आदेश देते हुये विलम्ब के लिये दोषी थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चौकीदार की बहाली

*742. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अन्तर्गत रैयाम थाना के ग्राम-पचाढ़ी एवं ग्राम-समैला, दोनों राजस्व ग्राम के चौकीदारों की वर्षों पूर्व मृत्यु होने के बाद भी चौकीदार की बहाली आजतक नहीं हुई है जिससे यहाँ अपराध में वृद्धि हो रही है तथा वर्तमान स्थिति की सूचना प्रशासन को नहीं मिल पाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों राजस्व ग्राम में चौकीदार की बहाली कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिमा स्थापित करना

*743. श्री राजीव कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि हाल ही में मुंगेर जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखंड स्थित रामपुर पंचायत के रामपुर ग्राम के एक भारतीय जवान राहुल कुमार, पिता-स्व0 जीवन सिंह, 4 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड में शहीद हो गये, यदि हाँ, तो सरकार उक्त शहीद की प्रतिमा रामपुर-बढ़ोनियाँ चौक पर स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छटनी के संबंध में

*744. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में 85 प्रतिशत दलित नवयुवतियों में खून की कमी और कुपोषण के कारण उनकी लम्बाई कम रह जाती है और वजन भी कम हो जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस में दरोगा और सिपाही की बहाली में सामान्य, पिछड़ा, दलित सहित सभी वर्गों की छात्राओं के लिए हाइट 155 से0मी0 और वेट 48 कि0 ग्रा0 रखा गया है, जिसके कारण दलित समाज से आने वाली युवतियाँ बहाली में छंट जाती हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार पुलिस दरोगा और सिपाही की बहाली में दलित युवतियों की हाइट 152 से0मी0 और वेट 45 कि0 ग्रा0 करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

इथेनॉल फैक्टरी स्थापित करना

*745. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज का चीनी मिल 1993 ई0 से पूर्णत: बंद होने के बाद इस 74 एकड़ जमीन को बियाडा (BIADA) को हस्तांतरित कर दी गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भूमि पर गन्ना आधारित इथेनॉल फैक्टरी स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*746. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महुआ और चेहराकला प्रखण्डों में सूचना प्रावैधिकी भवन नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्डों में सूचना प्रावैधिकी भवनों का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस थाना बनाना

*747. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी प्रखंड के ढेकहां बाजार पर मोतिहारी मुफस्सिल थाना का पुलिस पोस्ट स्थित है जो अपराध नियंत्रण का कार्य करते हैं, यदि हाँ, तो सरकार मोतिहारी प्रखंड के ढेकहां बाजार पर स्थायी अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस थाना कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना

*748. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड मुख्यालय बाजार सहित प्रदेश के अन्य प्रखंड मुख्यालय के बाजारों में ट्रैफिक जाम की समस्या होने से आमजनों को काफी कठिनाई होने के साथ ही सड़कों पर स्पीड गन एवं एएनपीआर (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाईजेशन सिस्टम) नहीं लगे होने के कारण युवा वर्ग तेज रफ्तार में ड्राइविंग करते हुए दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सड़कों पर स्पीड गन एवं एएनपीआर लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*749. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत चिरैया विधान सभा क्षेत्र के पताही प्रखंड अन्तर्गत बेलाहिराम पंचायत में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान कराना

*750. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य चीनी निगम लि० की बंद इकाई लोहट चीनी मिल के कर्मियों के बकाये भुगतान हेतु विभागीय आवंटन आदेश संख्या 13 बजट दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 द्वारा मो० 17,66,64,407 (सतरह करोड़ छियासठ लाख चौसठ हजार चार सौ सात रुपये) जिला पदाधिकारी मधुबनी को उपलब्ध कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लोहट चीनी मिल के 1250 कर्मियों में से 879 कर्मियों का भुगतान अभीतक नहीं हुआ है ;

(3) क्या यह बात सही है कि कर्मियों का भुगतान में चार्टर्ड एकाउन्टेंट से अंतिम गणना सूची नहीं प्राप्त होने के कारण विलम्ब हो रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष कर्मियों का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सी०सी०टी०वी० कैमरा लगवाना

*751. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत तरैया प्रखंड के तरैया बाजार एवं उसरीचांदपुर बाजार में सी०सी०टी०वी० कैमरा नहीं लगे रहने के कारण आये दिन चोरी, लुट एवं अन्य आपराधिक घटनाओं में लिप्त अपराधी की पहचान नहीं हो पाने के कारण अपराध नियंत्रण निष्प्रभावी हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों बाजार के मुख्य स्थानों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्त की गिरफ्तारी करना

*752. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत फुलवारीशरीफ थाना काण्ड संख्या 50/23, दिनांक 13 जनवरी, 2023 का पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बनाया गया है तथा अभियुक्तों की अबतक गिरफ्तारी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक, इस घटना की उच्चस्तरीय जाँच और अभियुक्त की गिरफ्तारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोन्नति देना

*753. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्यभर में जमादार के 6,000 पद रिक्त हैं और लगभग 3,000 से ज्यादा ट्रेनिंग लेकर फरवरी, 2020 से प्रोन्नति की प्रतीक्षा में हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में प्रोन्नति कोटा के पुलिस अवर निरीक्षक/प्रारक्ष अवर निरीक्षक (प्रशिक्षण)/सहायक अवर निरीक्षक में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्ति के संख्या तथा कार्यरत बल में आरक्षण कोटिवार सूचना उपलब्ध कराने हेतु बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्रांक 1374, दिनांक 8 नवम्बर, 2022 के द्वारा माँग की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ट्रेनिंग लेकर प्रोन्नति की प्रतीक्षारत पुलिस बलों को प्रोन्नति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*754. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिला अन्तर्गत प्रखंड बौंसी में बौंसी बाजार

एवं प्रखंड कटोरिया में कटोरिया बाजार चौक पर हमेशा जाम लगा रहता है, जिससे आमजनों को आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्थानों पर जाम से निजात दिलाने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों को गिरफ्तार करवाना

*755. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के अगमकुआँ थाना अन्तर्गत कुम्हरार आर०ओ०बी० रेलवे ट्रैक के नजदीक दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के अहले सुबह में एक निर्दोष युवक की अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निर्दोष युवक की हत्या के पश्चात् अगमकुआँ थाना में प्राथमिकी संख्या 989/22, दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को दर्ज किया गया है जबकि उक्त प्राथमिकी दर्ज करने के बावजूद अभीतक किसी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाया भुगतान करना

*756. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान, मधुबनी एवं भागलपुर जिलों में सूत मिल बंद हो जाने के कारण कर्मी भुखमरी की स्थिति में है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बंद पड़ी सूत मिल के कर्मियों का जिन्होंने ई०एस०आई०, ई०पी०एफ० कटवाया है के बकाया भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*757. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थानान्तर्गत चौकीदार द्वारा शराब पीकर हल्ला करने एवं अवैध ढंग से शराब का निर्माण एवं बिक्री में संलिप्त रहने की सूचना जीविका दीदी द्वारा संबंधित थानाध्यक्ष को दिये जाने के कारण उनके विरुद्ध थाना में कांड प्रतिवेदित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि घनश्यामपुर थाना कांड सं० 194/2022 एवं 298/2022 में पुलिस द्वारा प्रतिवादी के परिवार के सदस्यों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कांडों की जाँच करवाकर पीड़ित पक्षों को न्याय देने के साथ-साथ दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*758. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत कदवा थाना का भवन काफी पुराना है तथा जर्जर हो गया है, जिसके कारण थाना में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*759. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोगबनी नगर परिषद् के नेताजी चौक से जोगबनी बॉर्डर तक विगत 5 वर्षों से जाम की समस्या बनी हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जाम से निजात हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी करवाना

*760. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के नगरनौसा अंचल के मौजा मानसिंगपुर, टोला तीना, थाना नं० 232 खाता संख्या 121 एवं खेसरा संख्या 524 पोखरा खन्धा में कब्रिस्तान की जमीन है जिसे ग्रामीणों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराते हुये उसकी घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*761. श्रीमती रेणु देवी (क्षेत्र संख्या-8 बेतिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के अधीन रैयाम में भवन निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन के गेट पर कुछ बाह्य व्यक्ति द्वारा जेनरेटर एवं दुकान लगाया गया है तथा बगल के सरकारी जमीन पर घर बना लिया है जिसके चलते निरीक्षण भवन पूर्णतः असुरक्षित हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, दरभंगा ने अपने पत्रांक 615, दिनांक 20 मई, 2022 के द्वारा अवैध रूप से बनाये गये मकान को हटाने हेतु थाना प्रभारी, केवटी, रैयाम, दरभंगा को पत्र दिया, जिसपर आजतक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो कार्यपालक अभियंता, दरभंगा द्वारा थाना प्रभारी, केवटी, दरभंगा को दिये गये पत्र पर कार्रवाई नहीं होने का क्या औचित्य है ?

मखाना आधारित यूनिट स्थापित कराना

*762. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में मखाना का उत्पादन भारी मात्रा में होती है, किन्तु इसकी प्रोसेसिंग यूनिट न होने के कारण उपज नष्ट हो जाती है या बहुत ही कम कीमत पर बेचना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार किशनगंज जिला में मखाना पर आधारित यूनिट स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का मरम्मती कराना

*763. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला मुख्यालय में पाँच वर्ष पूर्व प्रेस क्लब भवन का निर्माण किया गया था, परंतु अबतक उक्त भवन को पूर्णियाँ प्रेस संघ को हस्तांतरित नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रेस क्लब भवन का हस्तांतरण नहीं होने से प्रेस क्लब के लोगों को भटकना पड़ता है, वहीं भवन भी रख-रखाव के अभाव में जर्जर हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रेस संघ, पूर्णियाँ के हित में प्रेस क्लब भवन का हस्तांतरण प्रेस संघ, पूर्णियाँ को करने तथा जर्जर हुये भवन का मरम्मत कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*764. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत सहार प्रखंड के ग्राम-खड़ाव में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन को बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्त करना

*765. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--हिंदी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 जनवरी, 2023 के अंक प्रकाशित शीर्षक "सीमांचल में इंस्पेक्टर का टोटा, आधा भी नहीं है कोटा" के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीमांचल के जिलों में पुलिस इंस्पेक्टर के स्वीकृत पदों के आधे पद रिक्त हैं जिससे पुलिस निरीक्षक स्तर के थानों के संचालन में भारी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस निरीक्षक का पद रिक्त रहने के कारण औसतन हर माह 300 नन-एस०आर० केसों का पर्यवेक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण आमजन को त्वरित न्याय नहीं मिल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीमांचल के जिलों में स्वीकृत पद पर पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को नियुक्त करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

तस्करी रोकना

*766. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "बिहार व अन्य राज्यों के सीमावर्ती इलाकों से बच्चियों की तस्करी" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 18 जिलों में राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग और सखी बिहार के अध्ययन अनुसार नेपाल से सटे बिहार के जिलों एवं सीमावर्ती राज्यों से बड़ी संख्या में महिलाएँ एवं बच्चियों के गायब होने के पीछे इसकी तस्करी का खुलासा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के नौ जिलों को मेजर ट्रैफिकिंग एवं आठ जिलों को मेजर ट्रांजिट प्वांइट घोषित किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस प्रतिवेदन के आलोक में महिलाओं एवं बच्चियों की तस्करी रोकने हेतु कौन-सा कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ?

नियुक्ति करना

*767. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि स्व0 संतोष कुमार, रात्रि प्रहरी, मलवरी प्रसार-सह-प्रशिक्षण केन्द्र, बेतिया में कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 28 नवम्बर, 2015 को हो गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि जबकि उक्त मृतक कर्मी के पुत्र श्री सूरज कुमार की अभीतक अनुकम्पा पर नियुक्ति नहीं हो सकी है, जिस कारण संबंधित परिवार भूखमरी के कगार पर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त आश्रित पुत्र की अनुकम्पा पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाति प्रमाण-पत्र बनाना

*768. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर, रोहतास एवं बक्सर जिला में खरवार जाति के लोगों से जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिये 1910 का खतियान का होना जरूरी है, जिसके कारण उक्त जाति के लोग जिनके पास 1910 का खतियान नहीं है या भूमिहीन है, उनका जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनाया जा रहा हैं ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार खरवार जाति के लोगों का जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिये 1910 के खतियान होने की बाध्यता को खत्म कर अन्य जातियों की तरह जाति प्रमाण-पत्र बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 673, दिनांक 8 मार्च, 2011 द्वारा दिशा-निदेश निर्गत किया गया है । इस परिपत्र की कंडिका 9 में जाति प्रमाण-पत्र के साक्ष्य हेतु अभिलेख के रूप में आवेदक के राजस्व अभिलेख यथा-खतियान, दान-पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख आदि को आधार बनाया गया है । उक्त परिपत्र में यह भी प्रावधान है कि इन अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा स्थल निरीक्षण कर आवेदक की जाति के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकेगा ।

(2) कंडिका (1) के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

परिसदन का जीर्णोद्धार कराना

*769. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत, बिक्रमगंज में बिस्कोमान गोदाम के नजदीक परिसदन का निर्माण किया गया था जो आज बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय के अन्तर्गत 8 प्रखंड आते हैं, जबकि यहाँ एक भी परिसदन नहीं है जिससे आगंतुक ठहर सकें ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिस्कोमान गोदाम के नजदीक निर्मित परिसदन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परिसदन का निर्माण

*770. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर अनुमंडल शहर एन0एच0 139 एवं एन0एच0 120 पर अवस्थित है तथा एन0एच0 120, सारनाथ को बोध गया से जोड़ती है तथा बुद्ध सर्किट भी दाउदनगर शहर से होकर गुजरती है परन्तु दाउदनगर में परिसदन नहीं रहने के कारण लोगों को दाउदनगर में ठहरने की समस्या होती है, यदि हाँ, तो सरकार दाउदनगर में परिसदन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था कराना

*771. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत झब्बु टोला, पार दियारा इत्यादि गाँव में बराबर आग लगने से भारी क्षति होती है और अमदाबाद थाना में उपलब्ध अग्निशामक की छोटी गाड़ी आग बुझाने में सक्षम नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर अग्निशामक की बड़ी गाड़ी की व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*772. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सीतामढ़ी द्वारा अंचल अधिकारी, डुमरा को भेजे गये पत्र ज्ञापांक 172, दिनांक 10 अप्रील, 2021 से संबंधित भूमि का भौतिक सत्यापन कराने के बावजूद प्रखंड डुमरा के मेहसौल कब्रिस्तान की घेराबंदी अबतक नहीं करायी गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*773. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अन्तर्गत कुम्मा-बेला, पी0डब्लू0डी0 सड़क परिहार होकर गुजरती है, जो नेपाल सीमा से भी जुड़ती है जहाँ प्रतिदिन परिहार चौक पर जाम की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार परिहार चौक पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*774. डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला अन्तर्गत असरगंज प्रखंड के मकवा बाजार में अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से सड़क के दोनों तरफ कब्जा करने से उक्त बाजार में जाम की स्थिति सदैव बनी रहती है जिससे आमजनों को आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बाजार में जाम से निजात दिलाने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*775. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बिरौल थाना अन्तर्गत बौआरी गांव में बिरौल थाना की पुलिस द्वारा बच्चों, बुढ़ों एवं अन्य अशक्त व्यक्तियों की बेरहमी से मार-पीट की गयी है और इन लोगों के विरूद्ध बिरौल थाना में एक कांड प्रतिवेदित है, जो बिरौल थाना कांड सं0-409/22, दिनांक 17 नवम्बर, 2022 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बौआरी गांव में पुलिस की पिटाई से घायल व्यक्तियों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है जिसमें गर्भवती महिला के बच्चे की मृत्यु हो गई है तथा पीड़ित व्यक्तियों द्वारा बिरौल थाना में दिये आवेदन पर अभीतक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिरौल थाना कांड सं0-409/22 की निष्पक्ष जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*776. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार कर्मचारी आयोग ने विज्ञापन संख्या-704/2004 एवं 511/2011 के अंतर्गत आरक्षण का रोस्टर सही ढंग से पालन नहीं किये जाने के कारण पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 133अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हो गए हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*777. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सुल्तानगंज प्रखण्ड के नगर परिषद के वार्ड नं0 7 एवं वार्ड नं0 8 के कब्रिस्तानों की घेराबंदी आजतक नहीं की गयी है जिसके कारण कभी-कभी सामाजिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नीति एवं कार्य योजना बनाना

*778. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 5जी सेवा प्रारंभ किये जाने से इंटरनेट आधारित सेवाओं का व्यापक प्रसार होगा जिससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) के तहत कुशल आई0टी0 पेशेवर की आवश्यकता होगी तथा इस अवसर का लाभ लेने की दिशा में बिहार आई0टी0 सेक्टर को विकसित कर लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा सकता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) में प्राप्त व्यापक अवसर का लाभ लेने हेतु नीति एवं कार्य योजना बनाने पर विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गन्ना मूल्य निर्धारित करना

*779. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला में पांच सुगर मिल क्रमश: मझौलिया, नरकटियागंज, हरिनगर, लौरिया एवं बगहा में सत्र 2022-23 के लिए गन्ना की पेराई के मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसानों के गन्ना तौल एवं ढुलाई वाले पुर्जी पर गन्ना का निर्धारित दर प्रिन्ट नहीं किया जाता है जिसके कारण किसानों को उनकी फसल का उचित मुल्य नहीं मिल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने के मूल्य का निर्धारण करते हुए ससमय भुगतान कर आगामी वर्ष में तौल पुर्जी पर निर्धारित मूल्य प्रिन्ट करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित आदेश के आलोक में पेराई सत्र 1996-97 से 2021-22 तक राज्य परामर्शित ईख मूल्य का निर्धारण बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन द्वारा किया जाता रहा है। विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-467, दिनांक 5 मार्च, 2022 द्वारा पेराई सत्र 2022-23 से गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारण करने का निर्णय लिया गया था। जिसके विरूद्ध बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद (C.W.J.C No.-11099/2022, Bihar Sugar Mills Association Vs The State of Bihar & Ors.) दायर किया गया है। उक्त वाद में विभाग द्वारा प्रति शपथ-पत्र दायर करने के उपरान्त गन्ना मूल्य निर्धारण की शक्ति के संबंध में विधि विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त किया जा रहा है।

गन्ना मूल्य के निर्धारण हेतु बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन के सदस्यों के साथ बैठक भी की जा रही है। सरकार द्वारा पेराई सत्र 2022-23 के लिए शीघ्र गन्ना मूल्य के निर्धारण हेतु सतत् प्रयास किया जा रहा है।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ना मूल्य का निर्धारण नहीं होने के कारण तौल पुर्जियों पर गन्ना मूल्य अंकित नहीं किया जा रहा है। चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2022-23 में गन्ना मूल्य के निर्धारित होने तक पिछले वर्ष में निर्धारित गन्ना मूल्य के दर पर ही वर्तमान में गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। दिनांक 7 फरवरी, 2023 तक चीनी मिलों द्वारा गन्ना कास्तकारों का औसतन 86.07 प्रतिशत ईख मूल्य का भुगतान कर दिया गया है।

(3) उपर्युक्त खंड (1) एवं (2) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी करवाना

*780. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत चांदी थाना कांड संख्या-334/22 में फर्जी वीडियो के आधार पर मो0 अख्तर उर्फ सोनू और मो0 शान को झूठे आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जबकि इनसे मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी, साथ ही पीड़ित पक्ष द्वारा दर्ज चंडी थाना कांड संख्या-335/22 के अभियुक्तों की अवतक गिरफ्तारी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार थाना कांड संख्या-335/22 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*781. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला घोसी प्रखंड अंतर्गत परावन पंचायत के सोनवाँ गाँव में थाना नं0-639, खाता नं0-328, प्लौट नं0-2495, रकबा-1.09डी0 में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना

*782. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत छौराही थाना में थाना कांड संख्या 341/2022 दर्ज है जिसमें रंजू देवी के बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी, किन्तु अभीतक उक्त कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कांड के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*783. ई० शशि भूषण सिंह (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड सुगौली के पंचायत दक्षिणी मनसिंघा के ग्राम-मनसिंघा में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्यमों को निबंधन कराना

*784. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 7 अगस्त, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "बिना निबंधन के चल रही 30 लाख से अधिक छोटी इकाईयाँ" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में कार्यशील 34 लाख लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योग में से 30.13 लाख उद्योग बगैर किसी निबंधन के काम कर रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिना निबंधन के चल रहे उद्यमों के कारण राज्य सरकार को भारी राजस्व का घाटा हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजस्व की हानि को रोकने हेतु बिना निबंधन के चल रहे उद्यमों को निबंधन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शुष्क बंदरगाह, कन्टेनर यार्ड खोलना

*785. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला एक औद्योगिक क्षेत्र तथा आई०ओ०सी०एल० रिफाईनरी, सुधा डेयरी, एथनौल प्लांट, एन०टी०पी०सी० अवस्थित होने के कारण लगभग 4,000 टैंकरों का आना-जाना लगा रहता है, परन्तु फर्टीलाईजर के चालू होने के बाद लगभग 5,000 भारी वाहनों का आना-जाना बढ़ गया है, उक्त सभी टैंकर, भारी वाहन एन०एच० पर खड़े रहते हैं जिसके कारण आये दिन जाम की समस्या एवं आकस्मिक दुर्घटना में वृद्धि हो रही है जिससे आमजनों में काफी आक्रोश है, यदि हाँ, तो क्या सरकार औद्योगिक क्षेत्र की समस्या को देखते हुये बेगूसराय जिला में शुष्क बंदरगाह, कन्टेनर यार्ड खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*786. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत वजीरगंज प्रखण्ड के ग्राम पंचायत केनार पहाड़पुर के राजस्व गाँव केनार पहाड़पुर स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*787. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत नानपुर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत ददरी वार्ड नं० 7 ग्राम-मोहनपुर एवं वार्ड नं० 14 ग्राम-ददरी कब्रिस्तान की घेराबन्दी अभीतक नहीं हुयी है,

जिसके कारण मवेशियों और आवारा कुत्तों की जमावड़ा लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक शाखा खोलना

*788. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत पोठिया प्रखंड में छतरगाछ बाजार और दामलबाड़ी बाजार ही बड़ा व्यापारिक केन्द्र है, किन्तु यहां भारतीय स्टेट बैंक की कोई भी शाखा नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों स्थानों पर भारतीय स्टेट बैंक (एस०बी०आई) की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना

*789. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)---हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 4 जनवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "ये कैसा है थाना, हाजत है न मालखाना, नम्बर भी नहीं है उपलब्ध" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खिरहर थाना 15 वर्षों से सिंचाई विभाग की खाली जमीन पर एस्बेस्ट्स व खपरैल के दो कमरे के मकान में संचालित हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना में हाजत एवं मालखाना नहीं होने के कारण कैदियों व जब्त सामान रखने में भारी समस्या होती है तथा थाना में सरकारी मोबाईल नम्बर नहीं होने से आमलोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त खिरहर थाना को भवन व अन्य बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी

*790. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड के बांसवाट पंचायत के हसनपुरवा कब्रिस्तान थाना नं० 142, खाता नं० 782, खेसरा नं० 5747, रकबा 9 कट्ठा 7 घूर है, जो आम गैर-मजरुआ भूमि है, की पक्की घेराबन्दी कार्य नहीं होने के कारण कब्रिस्तान की भूमि में अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान करना

*791. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मोतिहारी चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2009-2010 में किसानों का बकाया राशि 1741.02 लाख, सासामुसा चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2009-2010, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 में गन्ना काश्तकारों का कुल 4299.08 लाख रुपये एवं रीगा चीनी मिल द्वारा वर्ष 2009-2010, 2018-2019, 2019-2020 2020-2021 2021-2022 में कुल 5130.92 लाख रुपये का बकाया राशि का भुगतान अबतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक किसानों के बकाये राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*792. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के प्रखंड जंदाहा में पंचायत हरप्रसाद के वार्ड सं० 4 में अवस्थित कब्रिस्तान में चहारदीवारी नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक केन्द्र खोलना

*793. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ तथा गुरारू प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण जिला से प्रखंडों के सुदुर क्षेत्रों में अग्निशामक यंत्र आने में अधिक समय लगता है, जिससे काफी क्षति हो चुकी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार गुरूआ तथा गुरारू प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मूर्ति स्थापित करना

*794. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मनिहारी नगर में अम्बेडकर चौक पर डॉ० भीमराव अम्बेडकर की एक छोटी मूर्ति स्थापित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर डॉ० भीमराव अम्बेडकर साहब की आदमकद मूर्ति स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*795. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत जाले विधान सभा में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, पटना के द्वारा 12 मन्दिर निबंधित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, पटना के द्वारा निबंधित मन्दिर की घेराबंदी गृह विभाग के अन्तर्गत बिहार मन्दिर चहारदीवारी निर्माण योजनान्तर्गत कराया जाता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त योजनान्तर्गत दरभंगा जिला के जाले प्रखंड स्थित गौतमाश्रम, ब्रहमपुर के घेराबंदी हेतु जिला पदाधिकारी दरभंगा ने संयुक्त सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा) के पत्रांक 854, दिनांक 1 अगस्त, 2022 को आवंटन उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया था, परन्तु अभीतक आवंटन अप्राप्त है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त निबंधित मंदिर की चहारदीवारी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुसंधान करना

*796. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बखरी थाना में श्री सत्यनाराण सदा की गुमशुदगी के संबंध में थाना कांड सं० 233/2021 दर्ज है, किन्तु अभीतक उन्हें ना ढुंढा गया है और न ही उनकी हत्या की पुष्टि की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कांड का अनुसंधान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*797. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड अन्तर्गत निकसपुर पंचायत के वार्ड नं० 10 एवं हरपुर भिंडी पंचायत के वार्ड नं० 12 में कब्रिस्तान अवस्थित है जिसकी घेराबंदी नहीं होने से आवारा पशुओं और असामाजिक तत्वों का वहां आवागमन होता है जिससे नागरिकों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समान वेतनमान करना

*798. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रखंड अल्पसंख्यकीय कल्याण पदाधिकारी जो पर्यवेक्षकीय स्तर के अधिकारी है, का वेतनमान लेवल 06 है, जबकि प्रखंड स्तरीय का पर्यवेक्षकी अधिकारी का वेतनमान लेव 07 है जिस कारण कई प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी इस पद में रूचि नहीं ले रहे हैं और अल्पसंख्यको का कल्याण काम भी बाधित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का वेतनमान प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षकों के वेतनमान के समान करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*799. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत हसपुरा प्रखंड के सोनहथू पंचायत के ग्राम सोनहथू में स्थित कब्रिस्तान का घेराव नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*800. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहारा इंडिया, एस०के० पुरी शाखा, पटना में अमित कुमार द्वारा 'गोल्डेन ए डबल' योजना में सार्टिफिकेट नं० 465006349350-58 परिपक्वता तिथि 23 दिसम्बर, 2022 कुल राशि 1,00,000/ (एक लाख), फुलवारीशरीफ शाखा, पटना में अमित कुमार द्वारा 'गोल्डेन ए डबल' योजना में सार्टिफिकेट नं० 465006357758-64 परिपक्वता तिथि 26 दिसम्बर, 2022 कुल राशि 1,00,000/ (एक लाख) एवं आकांक्षा द्वारा उक्त योजना में फुलवारीशरीफ, पटना में सार्टिफिकेट नं० 465006357751-57 परीपक्वता तिथि 26 दिसम्बर, 2022 कुल राशि 1,00,000/ (एक लाख) निवेश किया गया किन्तु उक्त निवेशकों एवं अन्य निवेशकों की परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार निवेशकों को राशि का पूर्ण भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यातायात थाना भवन का निर्माण

*801. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर यातायात थाना का अपना भवन नहीं है एवं वर्तमान में संदलपुर ओ०पी० में उक्त थाना संचालित है, यदि हाँ, तो सरकार मुंगेर यातायात थाना भवन का निर्माण कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना

*802. श्री राम चन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-84 हायाघाट)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत हायाघाट बाजार में मात्र एक ही राष्ट्रीयकृत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हायाघाट बाजार की आबादी लगभग एक लाख से ऊपर है तथा यहां कोई दूसरा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं होने से यहां के व्यापारियों एवं आमलोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बाजार में कोई अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 भवन का निर्माण

*803. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी अनुमंडल के गढ़पुरा प्रखंड में अवस्थित गढ़पुरा ओ0पी0 भवनहीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ओ0पी0 लगभग 40 वर्षों से किराये के मकान में संचालित है जिसके कारण पुलिस कर्मियों को प्रशासन के कार्य में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ओ0पी0 के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*804. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-चौराढ़ में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, जिसके कारण चारों तरफ से कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार सासाराम प्रखंड के ग्राम-घौडाढ़ में कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*805. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधान सभा के बिहपुर दक्षिण पंचायत के मांगन साह मजार के बगल में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण दो समुदाय के बीच काफी तनाव बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*806. श्री रण विजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अन्तर्गत मुरादपुर बंगरा पंचायत के वार्ड नम्बर 9 में स्थित कब्रिस्तान है जिसका खाता नम्बर 81 तथा खेसरा नम्बर 218, 219 एवं 220 की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं और असामाजिक तत्वों का वहाँ आना-जाना लगा रहता है, जिससे आमजनता को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ० पी० भवन का निर्माण

*807. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के परवाहा पंचायत भवन में चल रहे ओ० पी० थाना का अपना भवन नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार परवाहा ओ० पी० भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अश्वारोही बल की तैनाती करना

*808. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के दियारा क्षेत्र में प्राय: आपराधिक घटनाएं घटित होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि यहाँ पर अश्वारोही बल की तैनाती नहीं होने के कारण अपराध नियंत्रण में पुलिस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिये अश्वारोही बल की तैनाती करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ० पी० स्थापित करना

*809. श्रीमंती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखंड के सुक्की पंचायत में सुक्की साइफन के पास पुलिस ओ० पी० अवस्थित नहीं होने के कारण उक्त पंचायत, जो तीन प्रखंडों क्रमश: लदनियाँ, खजौली एवं बाबूबरही की सीमा से लगा हुआ है, में आये दिन शराब तस्करों द्वारा अप्रिय घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, साथ ही इसकी सूचना खजौली थाना प्रशासन को पहुँचने में विलम्ब हो जाता है तथा रात्रि गस्ती भी नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो सरकार सुक्की साइफन के पास पुलिस ओ० पी० कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समस्या से निजात दिलाना

*810. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया (अ०जा०))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियाँ विधान सभा के कुदरा प्रखंड में बेकीलोन, झुनझुनवाला जानकी मिल उद्योग स्थापित है जिसके प्रदूषण युक्त हवा एवं पानी के कारण आस-पास के गाँवों के लोगों को आये दिन सांस की बीमारी से जुझना पड़ रहा है, साथ ही उद्योग के आस-पास की जमीन भी कृषि युक्त नहीं रह गयी है जिससे किसानों को उपज नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त उद्योग से निकलने वाली प्रदूषित हवा एवं पानी की समस्या से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*811. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गृह विभाग द्वारा शस्त्र अधिनियम में संशोधन के बाद एक शस्त्र धारक को तीन की जगह दो शस्त्र रखने तथा एक शस्त्र जमा करने का निर्देश वर्ष 2019 में दिया गया तथा 30 जनवरी, 2022 को राज्य के 662 लोगों की सूची सभी जिलाधिकारी को भेजते हुए तीसरा शस्त्र थाना में जमा कराने का भी निर्देश निर्गत किया गया था, किन्तु वर्ष 2020 में बिहार विधान सभा के चुनाव क्रम में तीन शस्त्र वाले शस्त्र धारकों का सत्यापन सभी थानों में नामित पदाधिकारी द्वारा किया गया, यदि हाँ, तो क्या सरकार 2020 में नियम विरुद्ध तीसरे शस्त्र को सत्यापित करने वाले पदाधिकारी को चिन्हित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*812. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरारू प्रखंड अंतर्गत बरोरह बाजार में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा स्थित थी, जिसे 2003 में बरोरह से 15 कि0मी0 दूर मटूक बिगहा में स्थानांतरित कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में बरोरह बाजार में लगभग 7,000 की आबादी वाले क्षेत्र के लोग वित्तीय लेन देन हेतु वहाँ से 15 कि0मी0 दूर गुरारू बाजार आते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पंजाब नेशनल बैंक बरोरह के शाखा को पुनः बरोरह में स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराना

*813. डॉ0 शशि भूषण सिंह (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड-सुगौली में पंचायत-उतरी मनसिंघा के ग्राम-नगर देही मिर टोली में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यो ?

अनुदान का भुगतान करना

*814. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किसानों के हित में सरकार द्वारा चलायी जा रही मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत गोपालगंज जिले के चीनी मिल प्रबंधकों द्वारा विगत 3 वर्षों से लागत खर्च का 210 से 240 रुपये प्रति कट्ठा अनुदान नहीं दिया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गन्ना किसानों के विकास हेतु संग्रहित की जाने वाली राशि को भी 1.80 प्रतिशत से घटाकर 0.02 प्रतिशत दर कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मिल प्रबंधकों को प्रति कट्ठा अनुदान भुगतान करने एवं संग्रहित की जाने वाली राशि को पुनः 1.80 प्रतिशत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी एवं पोखर में घाट का निर्माण

*815. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत मढ़िया पंचायत के मढ़िया ग्राम में सैकड़ों साल पुराना शिव मंदिर है, जहां नेपाल से लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाने हर वर्ष आते हैं जबकि शिव मंदिर की चहारदीवारी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है और मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा तालाब है जिसके घाट की स्थिति भी जीर्ण-शीर्ण है और जिससे भक्तों को स्नान करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड के मढ़िया ग्राम में शिव मंदिर की चहारदीवारी एवं पोखर में घाट का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0पी0 स्थापित करना

*816. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड में 29 पंचायत हैं, जो बिहार के सबसे बड़े प्रखंडों में से एक है, मझौलिया प्रखंड अंतर्गत तिरवाह के 6 से 7 पंचायत आते हैं, जो बाढ़ प्रभावित होने के साथ-साथ पिछड़ा इलाका भी है और यहाँ के लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से मझौलिया थाना की दूरी लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक है, साथ ही मझौलिया थाना का सुरक्षा सीमा पहले से ही काफी ज्यादा है, यदि हाँ, तो सरकार तिरवाह के जनता की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु सरिसवा में ओ0 पी0 स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*817. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, गृह, विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण जिला अन्तर्गत सिकटा प्रखंड के गौरीपुर बाजार स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, साथ ही सिकटा प्रखंड के हरिपुर (सिकटा धर्मपुर) गांव में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य सीमांकन के अभाव में प्रशासनिक स्वीकृति 2019-20 में मिलने के बाद भी नहीं बन पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*818. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत नवीनगर प्रखंड के ग्राम सिमरी पंचायत सिमरी धमनी में तथा ग्राम पंचायत चंदनगढ़ के ग्राम रघुनाथगंज में कब्रिस्तान अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं रहने के कारण आवारा पशुओं तथा असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहा है जिससे नागरिकों को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*819. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड खिजरसराय के ग्राम-नादरा में स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने की वजह से तनाव बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*820. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्रखण्ड नानपुर ग्राम+पो०-गौढ़ी में स्थित कब्रिस्तान जिसका खाता नं०-779, खेसरा-3607, रकबा-2 एकड़ 44डी० एवं ग्राम बेला में स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी अभीतक नहीं करायी गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना

*821. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 फरवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "पटना में सुबह, दोपहर और शाम आवागमन नहीं आसान" के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राजधानी पटना के सभी इलाकों में सुबह, दोपहर और शाम जाम की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण वाहन चालकों, छात्रों, मरीजों एवं दैनिक कार्य हेतु सभी व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राजधानी पटना में पिछले पाँच वर्षों से ट्रैफिक की व्यवस्था की दुर्गति के कारण आमजनों को कष्ट उठाना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना के ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर आमजनों के आवागमन को आसान बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नया चीनी मिल खोलना

*822. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज का चीनी मिल 1993 ई० से पूर्णत: बंद होने के कारण नवादा सहित नालन्दा, शेखपुरा, लक्खीसराय तथा गया जिले के किसानों एवं मजदूरों की आर्थिक स्थिति बदहाल है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर नया चीनी मिल खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम के नियंत्रणाधीन बंद चीनी मिलों को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी/सार्वजनिक/सहकारिता क्षेत्र के निवेशकों को निर्धारित लंबी अवधि की लीज पर हस्तांतरित करते हुये गन्ना आधारित उद्योग या अन्य उद्योग के रूप में पुनर्जीवित कराने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के आलोक में वित्तीय सलाहकार SBI Caps के माध्यम से अबतक पाँच निविदा प्रक्रियायें सम्पन्न हुयी है परन्तु इन पाँचों निविदा प्रक्रियाओं में नवादा जिला अन्तर्गत बंद पड़े वारिसलीगंज चीनी मिल के पुनर्जीवन हेतु कोई भी सफल निवेशक उपलब्ध नहीं हो पाये हैं।

सरकार के निर्णयानुसार राज्य में Priority Sector उद्योगों की स्थापना हेतु बिहार राज्य चीनी निगम की बंद पड़े वारिसलीगंज सहित 8 अन्य इकाइयों को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को हस्तांतरित किया गया है।

सरकार के स्तर से वारिसलीगंज में नया चीनी मिल स्थापित करने की कोई कार्य योजना नहीं है। यदि कोई निवेशक द्वारा वारिसलीगंज में चीनी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो सरकार उन्हें नियमानुकूल अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगी ।

औचित्य बतलाना

*823. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 अक्टूबर, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "पी०एम०ई०जी०पी० के तहत लोन लेने में बिहार से भेद भाव कर रहे हैं बैंक" के आलोक में क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2021-2022 में प्रधानमंत्री रोगजार सृजन कार्यक्रम के अधीन राज्य के 17,509 युवाओं द्वारा ऋण के लिये आवेदन किया गया था, लेकिन मात्र 2,473 को ही बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022-23 में राज्य के लगभग 9,000 युवाओं के आवेदन के विरुद्ध मात्र 1,080 को ही लोन मिला जो मात्र 12 प्रतिशत है जबकि गुजरात में 60 प्रतिशत, केरल में 39 प्रतिशत और यू०पी० में 39 प्रतिशत लाभुकों को ऋण दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य के युवाओं को ऋण देने में बैंकों द्वारा भेदभाव करने का क्या औचित्य है ?

आपराधिक घटनाओं को रोकना

*824. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 जनवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "2022 में वाहन चोरी की 726 घटनाएँ हुयी, पिछले साल 562 गाड़ी चोरी हुयी थी" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला में वर्ष 2022 में 11 महीने के अन्दर हत्या के 62, डकैती के 03, लूट की 42, चोरी की 247 एवं वाहन चोरी के 726, अन्य 93 सहित 7909 घटनाएँ सम्मलित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2021 में दरभंगा जिला में 6755 घटनाएँ हुयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वर्ष 2021 के मुकाबले 2022 में दरभंगा जिला में बढ़ी आपराधिक घटनाओं को कबतक रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करना

*825. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के मुफस्सिल थाना, बक्सर अन्तर्गत बनारपुर गाँव में दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 को रात्रि 12:30 बजे किसानों के घरों में घुसकर उनके साथ बिहार पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया जबकि शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात्रि बेला में बिना सर्च वारंट के किसी व्यक्ति के निजी आवास में पुलिस बल का प्रवेश करना निषेध हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मामले की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 06 मार्च, 2023 (ई०)।

पवन कुमार पांडेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

वि०स०मु० - 75 (एल०ए०), 2022-23 डी०टी०पी० -550